जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-16.01.2025**

एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना कांधला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में व्यापारी से अवैध वसूली हेतु रुपयों व गाडी की मांग करने की घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्तों से हुयी पुलिस मुठभेड में 03 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध हथियार व 01 कार बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 08.01.2025 को वादी श्री आबिद सैफी पुत्र गाजूदीन निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कांधला जनपद शामली जिनकी सैफी ट्रैडिंग कम्पनी नाम से कांधला में दुकान है के द्वारा सूचना दी गयी कि एक व्यक्ति ने फोन द्वारा जिसने अपना नाम सुरेन्द्र काला पुत्र नामालूम निवासी पानीपत हरियाणा बताया एवं 50 लाख रुपये व एक फार्चुनर गाडी की मांग करने तथा मांग पूरी न करने पर धमकी देने के संबंध में तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना कांधला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में व्यापारी से अवैध वसूली हेतु रुपयों व गाडी की मांग करने की घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्तों **से ग्राम सुन्ना नहर पटरी पर चैकिंग के दौरान हुयी पुलिस मुठभेड में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है जिनके कब्जे से अवैध 02 तमंचा मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 नाजायज चाकू व 01 वैगनार कार बरामद हुयी है।** अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें प्रयासरत हैं शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

घटना का उद्देश्य:-अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि जहूर की दो पुत्रियों की शादी दिनांक 19.02.2025 को तय है जिसके लिए रुपयों की आवश्यकता के कारण जहूर द्वारा अपने साथी युसुफ व जुबैर व सिकन्दर पुत्र मौसम अली निवासी ग्राम खानपुर जपती थाना लोनी जिला गाजियाबाद ने आपस में सलाह मशवरा किया गया कि आबिद सैफी पुत्र गाजूदीन सैफी निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना काँधला शामली के पास काफी पैसा है इससे धमकी देकर फिरौती में रुपये प्राप्त किये जा सकते हैं। इन सभी ने आपस में सलाह करके जुबैर ने सिकन्दर द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल फोन से 50 लाख रुपये व फोरच्यूनर गाडी की फिरौती की मांग करायी गयी एंव ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी एवं धमकी में प्रयुक्त किये गये मोबाईल व सिम को तोडकर गंग नहर में फैंक दिया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु फोन द्वारा कॉल कर रुपयों व गाडी की मांग की गयी थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जुबेर पुत्र रहीशुद्दीन निवासी ईदगाह कालौनी लिसाड़ी रोड़ थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

2.जहूर पुत्र मंजूर निवासी मौहल्ला मिर्दगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

3.युसुफ पुत्र उमरदीन निवासी मौहल्ला छोटी नहर बाई पास रोड़ कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अभि0 जुबैर के कब्जे से (एक अदद तंमचा 315 बोर व 01 जिन्दा व 01 खोखा कार0)

2.अभि0 जहूर के कब्जे से (एक अदद तंमचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस)

3.अभि0 युसूफ के कब्जे से (एक अदद चाकू नाजायज)

4.एक गाडी वैगनार रजि0नं0-यूपी 15 बीयू 6427

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक श्री क्षितिज कुमार सिंह थाना कांधला जनपद शामली
2.निरीक्षक श्री सुदेश कुमार प्रभारी एस0ओ0जी0टीम शामली
3.उ0नि0 श्री फतेह सिंह प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद शामली।
4.व0उ0नि0 श्री सुभाष सिहँ थाना कांधला जनपद शामली
5.उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना काँधला शामली
6.उ0नि0 श्री अजीत सिहँ थाना कांधला जनपद शामली
7.उ0नि0 श्री राहुल सिसोदिया एस0ओ0जी0 टीम शामली
8.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह एस0ओ0जी0 टीम शामली
9.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा थाना काँधला शामली
10.है0का0 अरविन्द कुमार थाना कांधला जनपद शामली
11.है0का0 रविन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली
12.है0का0 नरेश कुमार थाना कांधला जनपद शामली
13.है0का0 ललित कुमार एस0ओ0जी0 टीम शामली
14.है0का0 हरवेन्द्र कुमार एस0ओ0जी0 टीम शामली
15.है0का0 दीपक सर्विलांस टीम जनपद शामली।
16.का0 मनीष कुमार एस0ओ0जी0 टीम शामली
17.का0 दीपक सिंह एस0ओ0जी0 टीम शामली
18.का0 राममूर्ति तेजा एस0ओ0जी0 टीम शामली
19.का0 रोहित कुमार एस0ओ0जी0 टीम शामली
20.का0 अनुज कुमार एस0ओ0जी0 टीम शामली
21.का0 सूर्य प्रताप थाना कांधला जनपद शामली

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग, मारपीट करने के मामले में वांछित 06 अन्य अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 11.01.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षो में एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व मारपीट की घटना हुई थी। घटना के सम्बन्ध में इमरान पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर 20 व्यक्ति नामजद व 08-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात तथा तासमीन पुत्र इकराम निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर 23 व्यक्ति नामजद व 08-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये तथा घटना में घायल 04 व्यक्तियों को उपचार हेतु भेजा गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण में 13 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग मारपीट करने के मामले में वांछित 06 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.सद्दाम पुत्र उमरदीन उर्फ उमरा ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

2.सुलेमान उर्फ सलमान पुत्र उमरदीन उर्फ उमरा ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली

3.उमरा उर्फ उमरदीन पुत्र करीमू ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

4.दानिश पुत्र नजरा उर्फ नजरूदीन ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

5.डाबला उर्फ सलमान पुत्र नजरा उर्फ नजरूदीन ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली

6.तासिम पुत्र अख्तर निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुभाष चन्द थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 कुलवंत थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 नितिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4.है0का0 रिंकू भाटी थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध छुरा बरामदः-

आज दिनांक 16.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मारुफ पुत्र महबूर निवासी ग्राम मलकपुर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध छुरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 सुभाषचन्द थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 नितिन त्यागी थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 कुलवन्त थाना कैराना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 10 अलग-अलग मामलों में 14 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 42,800/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1. वर्ष 2009 में अभियुक्त 1.बाबू खां पुत्र फीका निवासी कस्बा व थाना बघरा जनपद मुजफ्फरनगर 2.यासीन पुत्र हनीफ निवासी कस्बा व थाना बघरा जनपद मुजफ्फरनगर 3.वकील पुत्र अनीस निवासी कस्बा व थाना बघरा जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 181/09 धारा 5/8 सीएस एक्ट व 3/11पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 6,100-6,100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2012 में अभियुक्त इरफान पुत्र जमालुदीन निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 376/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2005 में अभियुक्त ओमपाल पुत्र सरजीत सिंह निवासी हरियाखेडा थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 648/05 धारा 324/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 3,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 1998 में अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र कलीराम निवासी कम्हेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 248/98 धारा 506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय बैठने तक की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5. वर्ष 2014 में अभियुक्त मांगेराम पुत्र परशुराम निवासी अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 784/14 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 5,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

6. वर्ष 2001 में अभियुक्त इरफान उर्फ फानू पुत्र असगर निवासी आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 110/01 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

7. वर्ष 1995 में अभियुक्त राशिद पुत्र भूरा कसाई निवासी बल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 44/369/95 धारा 5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व

1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

8. वर्ष 2008 में अभियुक्त नौशाद उर्फ भूरा पुत्र शमशाद निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 668/08 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

9. वर्ष 1999 में अभियुक्त सलीम उर्फ अद्दा पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला पीरजादगान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 264/99 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

10. वर्ष 2008 में अभियुक्तगण 1.अजमेर पुत्र प्रेमदास निवासी जगनपुर जनपद शामली 2.सुरजन पुत्र प्रेमदास निवासी जगनपुर जनपद शामली 3.कृष्णपाल पुत्र अजमेर निवासी जगनपुर जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना जनपद शामली पर मु0अ0सं0 529/08 धारा 323/325/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक अभियुक्त को 2,000-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.बाबू खां पुत्र फीका निवासी कस्बा व थाना बघरा जनपद मुजफ्फरनगर
2.यासीन पुत्र हनीफ निवासी कस्बा व थाना बघरा जनपद मुजफ्फरनगर
3.वकील पुत्र अनीस निवासी कस्बा व थाना बघरा जनपद मुजफ्फरनगर
4.इरफान पुत्र जमालुदीन निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली
5.मांगेराम पुत्र परशुराम निवासी अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली
6.इरफान उर्फ फानू पुत्र असगर निवासी आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली
7.राशिद पुत्र भूरा कसाई निवासी बल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली
8.नौशाद उर्फ भूरा पुत्र शमशाद निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली
9.सलीम उर्फ अद्दा पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला पीरजादगान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली
10.अजमेर पुत्र प्रेमदास निवासी जगनपुर थाना कैराना जनपद शामली
11.सुरजन पुत्र प्रेमदास निवासी जगनपुर थाना कैराना जनपद शामली
12.कृष्णपाल पुत्र अजमेर निवासी जगनपुर थाना कैराना जनपद शामली
13.ओमपाल पुत्र सरजीत सिंह निवासी हरियाखेडा थाना कांधला जनपद शामली
14.नेत्रपाल पुत्र कलीराम निवासी कम्हेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI